हुक्म या का...

21/11/18	तामील पैरवी जनरल नोटिस से बदली आने पर वकील फरीकैन उप. पत्रावली आज पेश हुई। पुर्नाहुकम हेतु दि० 18/12/18 को पेश हो।
18/12/18	वकील फरीकैन उप. प्रार्थी ने ... का जवाब पेश किया गया है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 24/1/19 को पेश हो।
24/1/19	वकील फरीकैन उप. बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 30/1/19 को पेश हो।
30/1/19	वकील फरीकैन उप. प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुदा होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दाखिल हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती तारामती वैष्णव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	प्रा0 पत्र	ता0दायरा	ता0निर्णय
53/15	अस्थायी निषेधाज्ञा	29.10.15	30.01.19

1. कमला बेवा कल्याण — समस्त जाति जाटव निवासी हनुमानपुरा(खावदा)
2. बबलू । — तहसील सपोटरा जिला करौली राज0
3. पिन्टू । पि0 स्व0 कल्याण

–प्रार्थीगण

बनाम

1. लक्ष्मकेश । — सभी जाति चमार(बैरवा) निवासी हनुमानपुरा (खावदा) तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
2. परसादी । पिसरान रतन
3. रामधन ।
4. रामहंस । पिसरान मिसरया
5. हरिकेश ।
6. सांवली बेवा मिसरया।
7. मुरारी पुत्र बजरंगा।
8. मानोती बेवा रतन।
9. लेण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली।

–अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित– श्री मदनमोहन गुप्ता वकील प्रार्थीगण।
श्री राजेन्द्र सोनी वकील अप्रार्थीगण।

संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया है कि आराजी खसरा नं0 172/1 रकबा 05 बिस्वा वाके ग्राम खावदा तहसील सपोटरा में स्थित है। उक्त आराजी में प्रार्थीगण को प्रतिवादी सं0 9 व 10 से बाहमी बंटवारा में 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण वादीगण के हिस्से खातेदारी व कब्जे में चली आ रही है उक्त आराजी में प्रतिवादी सं0 9 व 10 का 1/2 हिस्सा खातेदारी व कब्जा है। उक्त आराजी से अप्रार्थी सं0 1 ता 8 का कोई खातेदारी काश्तकारी सम्बन्ध नहीं है उक्त आराजी का माफिक खसरा नं0 502/1 है। अप्रार्थी सं0 1 ता 8 ताकत के बल पर उक्त आराजी खसरा नं0 172/1 रकबा 05 बिस्वा के दक्षिण हिस्सा मार्क ए.बी. सी.डी. डेढ़ मटठा भूमि यानि 12 फिट 09 इंच भूमि लम्बाई चौड़ाई भूमि पर दिनांक 02.12.13 को नाजायज अतिक्रमण कर अनाधिकार तौर पर कब्जा कर लिया है। उक्त कब्जा की गई भूमि को अप्रार्थी सं0 1 ता 8 से वापिस प्रार्थीगण को देने की कहा तो अप्रार्थी सं0 1 ता 8 इंकार हो गये और प्रार्थीगण से एलानिया उक्त भूमि में मकानियत निर्माण करने व रहन जब करने की कहा तथा कब्जे काश्त में व्यवधान करने की धमकी दी। इसलिए प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीयान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीयान जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी सं0 6 व 8 बावजूद तामील नोटिस उपस्थित न्यायालय नहीं आये है इसलिए इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। अप्रार्थी सं0 9 का जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी सं0 1 ता 5 तथा 7 ने उपस्थित न्यायालय होकर जरिये वकील अपना जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नं0 172/1 रकबा 05 बिस्वा में प्रार्थीगण का हिस्सा 1/2 है जो सपोटरा से टटवाड़ा रोड़ की चौड़ाई हाथ

Scanned by CamScanner

रकबा 05 बिस्वा मे प्रार्थीगण का हिस्सा 1/2 है जो सपोटरा से टटवाड़ा रोड़ की चोड़ाई होने से रोड मे आ चुकी है जिसका प्रार्थीगण द्वारा मुआवजा भी सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर लिया है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि का हिस्सा शेष नही रहा है। अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं0 170 जो कि प्रार्थीगण की भूमि से लग रही है को प्रार्थीगण हड़पना चाहते है। प्रार्थीगण शुद्वहस्त नही है। प्रार्थीगण ने मनगढन्त कहानी बनाकर झूंठा प्रार्थना पत्र पेश किया है जो हर हालत मे खारिज होने योग्य है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमाया जावे।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात फोटो प्रति जमाबंदी ग्राम खावदा तहसील सपोटरा सम्बत् 2068–71 के अनुसार प्रार्थीगण का उक्त आराजी मे हिस्सा 1/4 दर्ज है, इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे उक्त आराजी के हिस्से 1/2 की खातेदारी व कब्जे काश्त का कथन अंकित किया गया है उसके सम्बन्ध मे कोई दस्तावेज या साक्ष्य पेश नही किये है। अप्रार्थीगण विवादित आराजी के पड़ोसी खातेदार है जिनकी आराजी खसरा नं0 170 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा प्रार्थीगण की खातेदारी के पास मे स्थित है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का आपसी सीमा विवाद है। अप्रार्थीगण के अभिकथन कि प्रार्थीगण की विवादित आराजी का हिस्सा रोड़ के अन्दर चला गया है, को वाद पत्र मे साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय किया जावेगा। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी सड़क मे चली गयी हो इस सम्बन्ध मे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। इसलिए सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष मे आंशिक रूप से साबित है। इसलिए वाद पत्र के निर्णय तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता हैं। अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम खावदा तहसील सपोटरा की आराजी खसरा नं0 170/1 रकबा 05 बिस्वा के मौके की यथास्थिति बनाये रखे। निर्णय आज दिनांक 30.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दावा रहे।

(तारामती वैष्णव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned by CamScanner